निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :77/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

गिर्राज पुत्र नानगराम उर्फ नानगा मीना निवासी थूणी मंगलदास उर्फ रामकिशनपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार कोटखावदा जिला जयपुर ग्रामीण।
2. रामजीलाल पुत्र गोपाल
3. हरिनारायण पुत्र गोपाल

जाति मीणा निवासी थूणी मंगलदास उर्फ रामकिशनपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व तहसीलदार कोटखावदा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2023 उनवानी रामजीलाल बनाम जमनालाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री नवल किशोर उचेनिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री बनवारी कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी 2 व 3 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 15.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार कोटखावदा के समक्ष प्रकरण संख्या 01/2023 उनवानी रामजीलाल बनाम जमनलाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार कोटखावदा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवता श्री बनवारी कुमावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार कोटखावदा ने पिछली पेशी पर खुले न्यायालय में प्रार्थी को कहा कि मेरे उपर दबाव है इसलिए मै कुछ भी नहीं सुनुगा, आप तो बहस कीजिए। प्रार्थी के अधिवक्ता के बार बार निवेदन किया आज कोई भी तारीख दे देवे, परन्तु पीठासीन

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

अधिकारी ने कहा मै तो आज ही बहस सुनूंगा। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 भू माफिया से वास्ते रखते है व संख्याबल, बहुबल एवं धनबल युक्त है और उनके द्वारा ऐसी एलानिया घोषणा से प्रार्थी को यह आभास हो गया है कि मुझे न्याय प्राप्त नहीं होगा। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा बहस के दिन ही गांव मे जाकर मिठाईया बांट दी एवं घोषणा की कि साहब से पैसे के लेन देन के बारे में बातचीत हो गई है और साहब ने मेरे पक्ष में प्रार्थना पत्र का निर्णय करने का आवश्वासन दे दिया है वो तो उसी दिन निर्णय कर देते परन्तु इसलिए निर्णय नहीं किया कि लोगो को बेहम हो जावेगा। अप्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी को प्रभाव में लेने, गांव में मिठाई बांटने एव उनकी एलानियां घोषणा होने के कारण एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली को बार बार बहस में लगाने से आभास हो जाने के कारण यदि प्रार्थना पत्र को अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप में सम्भव नहीं हो पायेगी। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 1 2 व 3 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। इसलिए मिथ्या व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी तहसीलदार कोटखावदा ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा न्यायालय तहसीलदार कोटखावदा को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)